

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 869
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानक

869. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा हाल ही में क्रियान्वित किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान योजना के नवीनतम चरण के अंतर्गत किसी नए क्षेत्रीय मार्गों की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यात्रियों के लिए निर्बाध हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु उच्च परिचालन लागत के प्रबंधन में सरकार घरेलू एयरलाइनों की सहायता किस प्रकार से कर रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास भारत में सुरक्षित विमानन संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत प्रणाली मौजूद है। प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1. सुरक्षा निरीक्षण तंत्र: डीजीसीए नियमित रूप से निगरानी, स्पॉट जांच, ऑडिट और विशेष जोखिम-आधारित निरीक्षण के माध्यम से विमानन नियमों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करता है।
2. वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी): डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित, एएसपी निदेशालयों द्वारा नियमित सुरक्षा जाँचों का मार्गदर्शन करती है। निष्कर्षों का सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ऑपरेटरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, और उल्लंघनों पर दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।
3. राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना : डीजीसीए ने मापन योग्य सुरक्षा प्रदर्शन संकेतकों और लक्ष्यों के साथ एक सुरक्षा योजना लागू की है। परिचालन सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय में कार्य योजना विकसित की जाती है।

(ख) : क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) एक मांग-आधारित जारी योजना है, जहां अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को कवर करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। विशेष मार्गों पर मांग के आकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें उड़ान के अंतर्गत बोली के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। वैध बोलियों को परिचालन हेतु मार्ग अवार्ड किए प्रदान जाते हैं।

सरकार ने हाल ही में देश भर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता करेगी।

(ग) यह उड़ान योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन ऑपरेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें एयरलाइन परिचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा ऑपरेटरों द्वारा रियायतें शामिल हैं, तथा इस योजना के तहत हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) भी प्रदान की जाती है।
